वकील वादी प्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित, पी. ए. द्वारा कार्य स्थगित किया गया है।
उपस्थित/अनुपस्थित पी. ... अधीन
अधिक J महोदय अन्य कार्य में व्यस्त।
पर है। अतः पत्रावली वास्ते पुका
दिनांक 27/04/25

27/04/25 आज यह पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। पूर्वी० पत्रावली दिनांक 06/11/25 को पेश हो।

06-11-25 कल दिनांक 06.11.25 को जन सुनवाई होने के कारण पत्रावली आज पेश हुई। प्रति. सं. 1 लगा० 4 की ओर से श्री रामेश्वर दयाल शर्मा एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 26-12-25 को पेश हो।

26-12-25 पत्रावली पेश हुई वकुलाय पक्षकारान उप। पूर्वी. वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 24.02.26 को पेश हो।

24.02.26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित पूर्वो० वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 27/04/26 को पेश हो।

27-04-26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उप। जवाब पेश किया। बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। जिससे हम इस नतीजे पर पहुंचे है कि प्रकरण से संबंधित दावे में भूमिका बाइ मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नहीं हुआ है। अतः सहखातेदारान का प्रत्येक हिस्सा पर कब्जा माना जाना वाजिब है।

अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में प्रतीत नहीं होता है।

चूंकि पक्षकारान सहखातेदारान है। तथा इनके हकों का निर्धारण दावे में तुरन्त रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् एवं सुनवाई के आधार पर हो सकेगा। तब

--- लगातार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तक अ०म० सहखातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं समझता हूँ तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर) राज०	